उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या–1309/V-2/2020–79(आ0)/2015
देहरादून, दिनांक 06 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2020

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.11.2011 के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम अधिसूचित किया गया है।

2– उक्त दिनांकित अधिसूचना में बिन्दु संख्या–4 पर आवास विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें अधिसूचित की गयी है। वर्तमान में राज्य में समस्त प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों को समाप्त कर जिला स्तरीय विकास प्रधिकरणों का गठन किया गया है। इस स्थिति में सक्षम प्राधिकारियों में भिन्नता के कारण पूर्व अधिसूचित सेवाओं, पदभिहित् अधिकारी, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के संबंध में पूर्व अधिसूचना को denotify करते हुए, संशोधित अधिसूचना निर्गत की जानी है।

3– उक्त के आलोक में कृपया पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित सेवाओं को denotify करते हुए, निम्नवत् सेवाओं की संशोधित अधिसूचना निर्गत करने का कष्ट करें–

क्र0 सं0	सेवाएं	पदाभिहीत अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निर्धारित समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	एकल आवासीय इकाई एवं आवासीय मानचित्र का निस्तारण	उपाध्यक्ष	15 दिन	अपर मुख्य प्रशासक, उडा	मण्डलायुक्त
		सचिव		उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
		सचिव से निम्न स्तर के अधिकारी		सचिव	उपाध्यक्ष
2	व्यवसायिक, मल्टीपल आवासीय इकाई एवं ग्रुप हाउसिंग मानचित्र का निस्तारण	उपाध्यक्ष	30 दिन	अपर मुख्य प्रशासक, उडा	मण्डलायुक्त
		सचिव		उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
		सचिव से निम्न स्तर के अधिकारी		सचिव	उपाध्यक्ष
3	मानचित्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करना	उपाध्यक्ष	05 दिन	अपर मुख्य प्रशासक, उंडा	मण्डलायुक्त
		सचिव		उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
		सचिव से निम्न स्तर के अधिकारी		सचिव	उपाध्यक्ष

2244
06.11.20

4	कार्यपूर्ति / अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना	उपाध्यक्ष	08 दिन (निरीक्षण हेतु 07 दिन एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु 01 दिन)	अपर मुख्य प्रशासक, उडा	मण्डलायुक्त
		सचिव		उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
		सचिव से निम्न स्तर के अधिकारी		सचिव	उपाध्यक्ष
5	मध्यम / उच्च जोखिम भवनों हेतु अधिभोग प्रमाण पत्र का आवधिक नवीनीकरण	उपाध्यक्ष	31 दिन	अपर मुख्य प्रशासक, उडा	मण्डलायुक्त
		सचिव		उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
		सचिव से निम्न स्तर के अधिकारी		सचिव	उपाध्यक्ष
6	भू–उपयोग को ज्ञात करना (स्पष्ट की–प्लान एवं दूरी दर्शाने के उपरांत)	उपाध्यक्ष	10 दिन	अपर मुख्य प्रशासक, उडा	मण्डलायुक्त
		सचिव		उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
		सचिव से निम्न स्तर के अधिकारी		सचिव	उपाध्यक्ष

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या–1309/V-2/2020–79(आ0)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2– उप सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव